

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

119/1998

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

1998/00002

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
जोरपुरी के वारिसान		
1. पार्वतीदेवी बेवा जोरपुरी के वारिसान		1. मावा पुत्र छोगा
2. श्रीमती मोहनीदेवी पुत्री जोरपुरी निवासी जालोर जिला जालोर		2. चम्पा पुत्र छोगा
3. श्रीमति शांतिदेवी पुत्री जोरपुरी निवासी समदड़ी जिला बालोतरा		3. विशना पुत्र छोगा जाति भील निवासी-आसोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
4. श्रीमति पुष्पादेवी पुत्री जोरपुरी निवासी जोधपुर		4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा
5. मृतक ओमपुरी पुत्र जोरपुरी के कायम मुकाम:-		
5/1.विनोदपुरी पुत्र ओमपुरी निवासी बालोतरा		
5/2.श्रीमती दुर्गा पुत्री ओमपुरी निवासी बाड़मेर		
5/3.श्रीमति कौशल्या पुत्री ओमपुरी निवासी गांधीधाम		
5/4.श्रीमति वीणा पुत्री ओमपुरी निवासी ईडर गुजरात		
5/5.श्रीमति दीपा पुत्री ओमपुरी निवासी डूंगरपुर		
6. सत्यप्रकाश पूरी पुत्र जोरपुरी निवासी-बालोतरा		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-

1. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता वादीगण
2. श्री चेलाराम कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 01 से 03
3. प्रतिवादी संख्या 04 अनुपस्थित।



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय

दिनांक 07-05-2024

सक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18.02 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी के हक पूर्वाधिकारियों द्वारा अपने कृषि औजार, चारा घास इत्यादि रखने हेतु चारों तरफ बाडानुमा निर्मित दो झूपिया खेत के पूर्वी व उत्तरी कोने पर स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि वादीगण के हक पूर्वाधिकारी जोरपुरी द्वारा तत्कालीन खातेदार देवाराम से सप्रतिफल अदा करते हुए जरिए बेचान-पत्र दिनांक 17.02.1982 को क्रय की गई, वक्त खरीद मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज होने के बाद दिनांक 12.05.1982 को दोनों ही गोलाकार क्रमशः 30 X 30 वर्गफीट व 20 X 20 वर्गफीट नाप की खेत के भूखण्ड पर स्थित झूपिया भी खरीद में प्राप्त की एवं इस आशंय की एक लिखित भी उसी रोज वादी के हक-पूर्वाधिकारी देवाराम ने वादी के हक में निष्पादित किया। वादीगण का वक्त खरीद से आदिनांक मौके पर कब्जा-काशत चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व बदिशा में प्रतिवादी की रहवासी ढाणिया कुछ ही दूरी आई हुई हैं। उक्त प्रतिवादी कम कीमत पर वादग्रस्त भूमि क्रय करने की मंशा रखते थे, लेकिन वादग्रस्त भूमि के हक-पूर्वाधिकारी ने प्रतिवादी को कम कीमत पर जमीन नहीं बेचकर वादी को वाजिब कीमत में विवादित भूमि बेचान किए जाने पर प्रतिवादी वादीगण के रंजिश रखने लगे, क्योंकि प्रतिवादी बदमाश व झगडालू प्रवृत्ति के लोग हैं। जिसके कारण वादीगण की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने का असफल प्रयास करने पर वादी द्वारा फौजदारी मुकदमा प्रतिवादी के विरुद्ध दायर करवाया गया, तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया, जिसमें वादी को काबिज मानते हुए स्थगन आदेश जारी किया। बाद में तकनीकी कारणों से वादी ने नया वाद संस्थित करने की अनुमति मांगते हुए प्रत्याहृत किया गया। वादीगण के हक पूर्वाधिकारी जोरपुरी सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी थे तथा वृद्धावस्था में बीमारी के कारण इलाज करवाने हेतु बालोतरा निवास करते थे, किन्तु विवादित भूमि की सार-संभाल करने हेतु आते जाते रहते थे। इसी का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में अवस्थित दोनों झूपियों में अनाधिकृत अवैध रूप से काबिज हो गए, जिसका प्रतिवादी को कोई विधिक कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। विवादित भूमि में निर्मित वादी के स्वामित्व की दो झूपिया जो खेत के पूर्वी तरफ व उत्तरी तरफ के कोने क्रमशः 30X30 वर्गफीट व 20X20 वर्गफीट नाप की स्थित हैं, में प्रतिवादी को कब्जा अनाधिकृत अतिक्रमी करार दिया जाकर बेदखल कर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद-पत्र पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए, जो शामिल मिसल है। अधिवक्ता श्री चेलाराम कुमावत की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की तरफ से वकालतनामा पेश किया।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से जरिए अधिवक्ता वादीगण के वाद-पत्र तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि में वादी के हक पूर्वाधिकारियों ने औजार, चारा, घास रखने हेतु झूपिया नहीं बनाई, बल्कि वादी के हक पूर्वाधिकारियों का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काशत नहीं था, वादग्रस्त भूमि पर वक्त काशतकारी अधिनियम लागू होने तथा उसके पहले एवं बाद में राजू व छोगा का व उसके बाद उनके पुत्रान का कब्जा काशत चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में तीन अलग-अलग ढाणिया बनी हुई है, जिसमें एक-एक झूपा तथा एक-एक पक्का पडवा बना हुआ है, जिसमें राजू व छोगा के वारिसान प्रतिवादी का रहवास है। वादी के हक पूर्वाधिकारियों ने अगर ढाणिया बनाई होती तो उसका हवाला वादी अपने पूर्व के दावा संख्या 50/82 में जरूर देता। लेकिन वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेन्टलमेंट पूर्व से आदिनांक प्रतिवादी का ही कब्जा काशत चला आने के कारण वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की खातेदारी घोषित की जावे तथा प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे तथा न ही प्रतिवादी के कब्जे-काशत में दंखलदान्जी की जावे।

4. वादीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से पेश काउन्टर क्लेम का खण्डन करते हुए जवाब-उल-जवाब जवाब पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि पर राजू व छोगा व उसके वारिसान प्रतिवादी का कमी भी कब्जा-काशत नहीं रहा है। प्रतिवादी की ओर से मनगढत तथ्यों के आधार पर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया है, क्योंकि प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिसमें इनका काशतकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व या बाद में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काशत रहा हों। जबकि वादी की ओर से विधिपूर्ण विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण से ही टाईटल एवं हक संक्रान्त होते पंजीकृत विलेख के आधार पर क्रेता वादी स्वतः ही काबिज खातेदार हो गया। विधिपूर्ण कब्जा संक्रान्त करने वाले पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 17.2.82 को प्रतिवादी ने कमी कोई चुनौती देकर सक्षम सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया है, जिससे काबिल क्रेता वादी के खातेदारी हक एवं अधिकार पुख्ता हो चुके है। प्रतिवादी केवलमात्र अवैध कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं है। इस कारण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादी के वाद-पत्र में वर्णित माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री फरमाई जावे।

5. प्रतिवादी संख्या 04 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया।

6. प्रकरण में उमय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवादक विरचित किए गए:-

तनकी संख्या 1-आया वादीगण मौजा आसोतरा के खेत खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18-02 बीघा में बनी झूपियों से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे-वादीगण)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 2—आया वादीगण विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ? (जिम्मे—वादीगण)

तनकी संख्या 3—आया वादीगण प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का कब्जा पाने के अधिकारगण है? (जिम्मे—वादीगण)

तनकी संख्या 4— वादीगण ने पूर्व दावा 50/82 राजू वगैरह के खिलाफ पेश किया,जिसका निस्तारण हो जाने से वादीगण का वाद रेस—ज्यूडिकेटा होने से काबिल खारिज है? (जिम्मे—प्रतिवादी)

तनकी संख्या 5— प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारीगण है ? (जिम्मे—प्रतिवादी)

तनकी संख्या 6— अन्य दादरसी: ?

7. वादीगण की ओर से वाद—पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 सत्यप्रकाश PW.02 कदणों PW.03 बालकराम, PW.04 विनोदपूरी, PW.05 शाहरूखखानं के सशपथ बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्श—01 जमाबंदी प्रति संवत 2054—2057,प्रदर्श—02 जमाबंदी प्रति संवत 2014—2017,प्रदर्श—3 जमाबंदी प्रति संवत 2018—2021 ,प्रदर्श—04 जमाबंदी प्रति संवत 2022—2025,प्रदर्श—5 जमाबंदी प्रति संवत 2026—2029,प्रदर्श—6 खसरा गिरदावरी नकल संवत 2009—2013,पुश्त पर संवत 2013—17 तक अंकन है,प्रदर्श—7 खसरा गिरदावरी नकलप्रति,प्रदर्श—8 खसरा गिरदावरी नकल संवत 2019—2021,प्रदर्श—9 खसरा गिरदावरी नकल संवत 2022—2025,प्रदर्श—10 खसरा गिरदावरी नकल संवत 2026—2029,प्रदर्श—11 खसरा गिरदावरी नकल संवत 2030—2031,प्रदर्श—12 नक्शा ट्रेस प्रति,प्रदर्श—13 मौका रिपोर्ट प्रमाणित प्रति नामान्तरण संख्या 767 जोरपुरी बनाम ग्राम पंचायत आसोतरा व प्रदर्श—14 आदेश दिनांक 24.4.1997 की प्रमाणित प्रति व प्रदर्श—15 खसरा गिरदावरी नकल प्रति संवत 2030—2045 प्रदर्शित करवाए गए।

8. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 मावाराम, DW-02 विशनाराम व DW-03 भंवराराम, DW-04 चौथाराम, DW-05 राणाराम, DW-06 भलाराम एवं DW-07 चतराराम के बयानात कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—A1 वादी जोरपुरी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र—स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रमाणित प्रति, प्रदर्श—A2 प्रतिवादी द्वारा जबावदावा मय काउन्टर क्लेम की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A3 प्रार्थनापत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्तें—वादपत्र संशोधन अनुमति बाबत प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A4 आदेश दिनांक 09.8.1989 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A5 फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.7.1989 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A6 वाद संख्या 50/1982 विडोल बाबत अनुमति प्रार्थनापत्र प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A7 फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 12.3.1997 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A8 आदेश दिनांक 24.4.1997 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A9 फौजदारी प्रकरण संख्या 04/1985 निर्णय दिनांक 09.2.1995 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श—A10 फौजदारी प्रकरण 145 सी.आर.पी.सी. में जारी नोटिस प्रति,प्रदर्श—A11 व A12 लगान रसीदें व प्रदर्श—A13 प्रार्थनापत्र आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. का जवाब प्रतिवादी द्वारा



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पेश की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श-A14 ग्राम आसोतरा की जमाबंदी संवत 2024 से 2057 प्रदर्शित करवाए गए।

9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। वक्त बहस विद्वान वादीगण ने निवेदन किया कि खालसा गांव आसोतरा तहसील पचपदरा की कृषि भूमि खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18.02 बीघा वादी द्वारा सप्रतिफल दिनांक 17.02.1982 को जरिए पंजीकृत विक्रय विलेख खरीद करने एवं मौके पर वास्तविक एवं भौतिक रूप से काबिज होने के बाद दिनांक 12.05.82 को दोनों ही गौलाकार क्रमशः 30X30 वर्गफीट एवं 20X20 वर्गफीट नाप की खेत के भू-खण्ड पर स्थित झूपीयों भी खरीद में प्राप्त की एवं इस आंशय का एक लिखत भी उसी रोज वादी के हक-पूर्वाधिकारी देवाराम ने वादी के हक में निष्पादित किया। दिनांक 09.05.82 को इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होने पर प्रथम बार फसल बाजरी,मूंग,मोट की बुवाई कराई। इसके बाद वर्ष दर वर्ष वादी निरन्तर काशत करता रहा है। वर्ष 1992 जून माह में जब वादी बालोतरा में था तब वादी की गैर मौजूदगी में प्रतिवादीगण ने अपनी घर विकरी का कुछ सामान,बिना किसी,विधिक अधिकार एवं प्राधिकार के अतिक्रमण स्वरूप वादी के स्वामित्व की दोनों झूपियों में रख दिया और वादी को झूपियों के उपभोग एवं उपयोग से वंचित कर दिया,इस प्रकार प्रतिवादी विधि के अन्तर्गत अनाधिकृत अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं, और उन्हे उक्त नाप की दोनों ही झूपियों पर उनका कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत आसोतरा ने नैसर्गिक विधि के आज्ञापक प्रावधान का उल्लंघन कर वादी का नामान्तरण हेतु आवेदन अस्वीकार कर दिया,जिसके विरुद्ध वादी ने अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत की,जो स्वीकार की गई एवं मामला प्रतिवादी संख्या 4 के पास गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु रिमाण्ड कर दिया। प्रतिवादी संख्या 04 ने वक्त मौका निरीक्षण उक्त वर्णित झूपियों में प्रतिवादीगण का कब्जा होना पाया एवं शेष भूमि मौके पर वादी की खाली पड़ी हुई होना मानकर वादी के पक्ष में आदेश दिनांक 24.04.1997 को पारित किया,जो पुख्ता हो चुका है। वादग्रस्त भूमि पर कमी भी राजू व छोगा व उसके वारिसान प्रतिवादी का कब्जा काशत नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 364 व 365 वर्ष संवत 2012 में खसरा संख्या 971/1 या 971/2 मीन का हिस्सा होने के कथन पूर्णतया गलत व बनावटी है। वाद संख्या 50/82 मात्र निषेधाज्ञा के अनुतोष का वाद मात्र था,चूंकि वादी सप्रतिफल काबिज क्रेता खातेदार काशतकार है। प्रतिवादी जहां अपने आप को वक्त काशतकारी अधिनियम लागू होने तथा उससे पहले व बाद में सब टिनेन्सी के आधार पर काबिज होना बताते है,दूसरी ओर प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर अपने आपको खातेदार होना बताते है,जो विधि की यह स्पष्ट मंशा है कि परस्पर विरोधाभासी अभिवचन सब टिनेन्सी एवं प्रतिकूल कब्जा के दोनों एक साथ नहीं चल सकते है,मात्र उक्त आधारों पर ही काउन्टर क्लेम प्रतिवादी पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावे तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी कब्जा काशत की भूमि ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 364 व 365 क्रमशः रकबा 11 बीघा 15 विस्वा व 06 बीघा 07 विस्वा कुल क्षेत्रफल 18 बीघा 02 विस्वा में निर्मित वादी के स्वामित्व



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

की दो झुपियाँ जो खेत के पूर्वी तरफ व उत्तरी तरफ के कोने पर क्रमशः 30x30 वर्गफीट एवं 20x20 वर्गफीट नाप की स्थित हैं, में प्रतिवादीगण का कब्जा अनाधिकृत अनिर्धारितों का करार दिया जाकर तीनों ही अतिक्रमि प्रतिवादीगण को दोनों ही झुपियाँ से बेदखल किया जाकर दोनों ही झुपियाँ में कब्जा, असाततन वादी का मौके पर कराया जाये तथा वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत व्यादेश निष्काशा इस आशय की जारी फरमाई जाये कि प्रतिवादीगण शेष वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा व काशत में किसी प्रकार के दखल हस्तक्षेप, व्यवधान, नुकसान या प्रवेश की चेष्टा या प्रयास न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से भी करावें।

10. प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा आसोतरा में जरूर आई हुई हैं, लेकिन यह तथ्य गलत है, कि भूमि वादी के खातेदारी की कब्जे काशत में हो, जमाबंदी में प्रविष्टी गलत हुई है। वादग्रस्त खसरों की भूमि में वादी के हक पूर्वाधिकारियों ने औजार, चारा, घास रखने हेतु झुपिया नहीं बनाई, बल्कि वादी के हक पूर्वाधिकारियों का भूमि पर कब्जा काशत नहीं था। भूमि पर वक्त काशतकारी अधिनियम लागू होने तथा उसके पहले एवं बाद में राजू व छोगा का एवं उनके पुत्रान का कब्जा काशत चला आ रहा है। वादग्रस्त खसरों की भूमि में तीन अलग-अलग ढाणियाँ बनी हुई है, जिसमें एक-एक झूम्या तथा एक एक पक्का पड़वा बना हुआ है, जिसमें राजू के वारिसान तथा छोगा व उसके पुत्रान प्रतिवादीगण का रहवास हैं। वादी के हक पूर्वाधिकारियों ने अगर ढाणियाँ बनाई होती, तो उसका हवाला वादी अपने पूर्व के दावा संख्या 50/82 में जरूर देता। देवाराम से ढाणियों का कोई लिखित लिखवाया गया है, तो वह बनावटी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में दिये जवाबदावा के पश्चात लिखवाया गया प्रतीत होता है, वादी के हक में कागजी बैचान हैं। वादी ने कभी वादग्रस्त भूमि पर फसल नहीं बोई, बल्कि काशतकारी अधिनियम लागू होने के वक्त व पहले तथा बाद में राजू व उसके पुत्रान शंकर वगैरा का तथा छोगा व उसके पुत्रान प्रतिवादीगण का कब्जा काशत चला आ रहा है। वादी के हक पूर्वाधिकारियों ने वादी को भूमि का कब्जा वक्त बैचान सुपुर्द नहीं किया, क्योंकि उनके स्वयं का भूमि पर कब्जा काशत नहीं था। खसरा संख्या 364 व 365 पुराने खसरा संख्या 991/1 व 991/2 मीन थे, संवत् 2012 में जब काशतकारी अधिनियम लागू हुआ, उस वक्त खसरा संख्या 991 शालीम खसरा बिला कब्जा सरकारी दर्ज था। वक्त बैचान वादी को भूमि का कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया, क्योंकि भूमि पर वादी का कब्जा काशत नहीं होने से नामान्तरण ग्राम पंचायत ने खारिज किया तथा तहसीलदार पचपदरा ने वक्त पारित आदेश राजू व छोगा तथा उनके पुत्रान मीलो का कब्जा काशत माना। वादी ने सन् 1982 में राजू वगैरा 7 व्यक्तियों पर दफा 447 आई.पी.सी के तहत मुकदमा किया, जिसमें अदालत श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजू वगैरा मुलजिमान का कब्जा मानते हुए उन्हे बरी किया। वादी ने राजू वगैरा के विरुद्ध राजस्व वाद संख्या 50/82 पेश किया, जिसमें श्री मदनलाल काला एस.डी.ओ बालोतरा वादग्रस्त भूमि का मौका देखा भूमि पर राजू वगैरा का कब्जा काशत पाया। वादी ने कब्जे के अभाव में दावा खारिज होता देखकर



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी विशेष किया तथा वादी को साथ प्रस्तुत अपभाई निषेधाज्ञा की परखवास्त खारिज की गई। वादी की तरफ से वो बार तथा 183 अपराध प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की गई, लेकिन दोनों बार खारिज हुई, क्योंकि वादी अपनी साक्ष्य समूह तक पेश नहीं कर सका। प्रकरण की विचारप्रस्त भूमि पर पिछले 12 साल से ज्यादा अरसे से लगातार विविध रूप से वादी के हक को चुनौती देते हुए अधिकार स्वरूप खुले तौर से प्रतिवादीगण का प्रतिकूल कब्जा काशत चला आ रहा है, जिससे प्रतिवादीगण एडवोसी प्लेजेशन के सिद्धान्तानुसार खातेदार काशतकार बन चुके हैं। प्रतिवादीगण राजू को पुत्रान के साथ खेत खसरा संख्या 364 व 365 सरहद मौजा आसोतरा अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। वादी प्रतिवादी को बलपूर्वक खेत खसरा संख्या 364 व 365 पर से बेदखल कर सकता है, प्रतिवादीगण के कब्जे काशत में दखलदानी कर सकता है, जिससे प्रतिवादीगण के लिए वादी के विरुद्ध रथाई निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है, उन्हें एक बार हक मिले तो उन्हें खत्व नहीं किया जा सकता है। अतः वादीगण का वाद सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावे तथा प्रतिवादी का काउन्टर दावा स्वीकार किया जाकर माम आसोतरा तहसील पनपदरा की खेत खसरा संख्या 364, 365 क्रमशः रकबा 11 बीघा 15 विस्वा व 4 बीघा 7 विस्वा कुल रकबा 18.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी को खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर राजरत रेकर्ड दुरस्त किया जावे तथा वादी के विरुद्ध रथाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी प्रतिवादीगण का खेत खसरा संख्या 364, 365 कुल रकबा 18 बीघा 2 विस्वा सरहद मौजा आसोतरा पर से बेदखल नहीं करें, न प्रतिवादीगण के कब्जे काशत में दखल ही पैदा करें। अपनी बहस के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए:-

- I. आर.आर.टी.2018(2) पृष्ठ 859
- II. आर.आर.डी.1992 पृष्ठ 29
- III. डी.एन.जे.1994 पृष्ठ 68
- IV. आर.आर.टी.2016(2) पृष्ठ 1364
- V. आर.आर.डी.1984 पृष्ठ 81
- VI. आर.आर.टी.2003(1) पृष्ठ 547
- VII. आर.आर.टी.2006(1) पृष्ठ 545
- VIII. आर.आर.टी.2012(1) पृष्ठ 358
- IX. आर.आर.टी.2021(1) पृष्ठ 01

11. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, बयानात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन से पूर्व हम यहां धारा 183 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 का उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार:-

2

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कतिपय अतिचारियों की बेदखली—(1) इस अधिनियम में के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बातें के होते हुए भी, अतिचारी, जो विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किसी भूमि पर कब्जा कर लेता है या उसे बनाये रखता है तो उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अधीन, उसको बेदखल करने के लिए हकदार व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा वाद करने पर, बेदखली के लिए दायी होगा और प्रत्येक उस सम्पूर्ण कृषि कार्य वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए, जिसके दौरान उसे ऐसा कब्जा रखा, शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो वार्षिक लगान के पन्द्रह गुना तक हो सकेगी, संदत्त करने का अतिरिक्त रूप से दायी होगा।

हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु उक्त धारा 183 की उपधारा (1) निम्नलिखित आवश्यक तत्वों को दृष्टिगत रखा जाना न्यायोचित एवं प्रासंगिक रहेगा:—

- (i) सर्वोपरि खण्ड द्वारा इस धारा के उपबंधों का इससे विपरीत उपबन्धों पर अध्यारोही प्रभाव दिया गया है।
- (ii) इस धारा के अधीन कौन वाद ला सकता है—ऐसे व्यक्ति का वादाधिकार।
- (iii) कौन व्यक्ति अतिचारी/अतिक्रमी (ट्रेसपासर) है—जिसे इस धारा के अधीन बेदखल किया जा सकता है।
- (iv) अनुतोष—(क) कब्जा वापिस दिलवाना और अतिचारी की बेदखली

(ख) अतिचारी पर वार्षिक—लगान को पन्द्रह गुना तक जुर्माना लगाना।

उक्त वर्णित धारा 183(1)के प्रावधान तथा इसके अन्तर्निहित आवश्यक तत्वों के दृष्टिगत प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:—

तनकी संख्या 01—आया वादीगण मौजा आसोतरा के खेत खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18—02 बीघा में बनी झूपियों से प्रतिवादीगण का कब्जा हटवाने के अधिकारीगण है ?

(जिम्मे—वादीगण)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद पत्र को साबित करवाने के लिए 06 गवाह की साक्ष्य करवाई गई तथा बयानात के समर्थन में प्रदर्श—01 से प्रदर्श—14 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। प्रदर्श 01—वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 तक नामान्तरण संख्या 1412/7.8.1997 निर्णय स्वीकृत होने से जोरपुरी पुत्र भगवानपुरी कौम गोस्वामी निवास बालोतरा खातेदार के नाम पूर्ण खाता रेकॉर्ड में अमल—दरामद किया गया। उक्त प्रविष्टि से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण अभिलिखित खातेदार हैं। उक्त खातेदारी अधिकारी जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 के कॉलम संख्या 04 मार्क लाल स्याही से ए से बी खातेदारान द्वारा भूमि बेचान—पत्र जोरपुरी को करने से प्राप्त हुए हैं। पत्रावली के संलग्न प्रदर्श—6 खसरा गिरदावरी संवत् 2009—13, प्रदर्श—7 खसरा गिरदावरी संवत् 2013 से 2017, प्रदर्श—8 खसरा गिरदावरी संवत् 2019 से 2022, प्रदर्श—9 खसरा गिरदावरी संवत् 2022 से 2025, प्रदर्श 10—खसरा गिरदावरी संवत् 2026 से 2028, प्रदर्श 11—खसरा गिरदावरी संवत् 2030—2031, प्रदर्श—15 खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 2033, 2034 से 2037, 2038 से 2041, 2042 से 2045 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर पूर्व हकपूर्वाधिकारी झूपियों व



10

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भल्ला वगैरह का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा था और उक्त खातेदारान् ने विक्रय-पत्र दिनांक 17.02.1982 के द्वारा जोरपुरी को वादग्रस्त भूमि जरिए रजिस्ट्री बेचान की गई तथा वक्त खरीद कब्जा सुपुर्द किया जाना स्वीकार किया है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार देवाराम पुत्र चतराराम ने पांच रुपये के स्टाम्प पर दिनांक 12.05.1982 लिखित बेचान वादी जोरपुरी को की गई, जिसकी साख श्री खुशहालराम पटेल पेशा अधिवक्ता द्वारा दी गई थी तथा देवाराम द्वारा बाद में दिनांक 01.07.1991 को अपना हिरसा जरिए रजिस्ट्री जोरपुरी को बेचान किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण रकबा 18.02 बीघा वादीगण द्वारा खरीद किया गया तथा वक्त खरीद कब्जा प्राप्त करना स्वीकार किया है। हस्तगत प्रकरण में विवाद का मुख्य बिन्दु है, कि वादग्रस्त भूमि में अवस्थित दो झोपिया एक पूर्वी तरफ व एक उत्तरी तरफ के कोने में क्रमशः 30X30 वर्गफीट व 20X20 वर्गफीट नाप की जिस पर प्रतिवादी द्वारा अवैध कब्जा करने के कारण उन्हें बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा सुपुर्द किया जावे। वादी पक्ष की ओर से गवाहान PW-01 से PW-06 के बयानात से भी स्पष्ट साबित होता है कि विवादित भूमि के अन्दर अवस्थित दो झोपों पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा है। वकील प्रतिवादी द्वारा वादी पक्ष गवाहान से लम्बी जिरह की गई तथा अपने गवाह भी किये परन्तु किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य तथा मौखिक बयानात से यह साबित नहीं कर पाए कि उक्त प्रतिवादियों का वादग्रस्त भूमि में अवस्थित झोपों पर वैध कब्जा है, बल्कि वादी पक्ष यह भली भांति साबित कर पाया कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट पूर्व खातेदार डूंगरिया व भल्ला वगैरा की खातेदारी में रही है, जो पत्रावली के संलग्न खसरा गिरदावरी प्रदर्श-6 से 11 अवलोकन से स्पष्ट है। प्रदर्श-2 से प्रदर्श-4 जमाबंदी अवलोकन से भी साबित होता है। इस प्रकार वादीगण के हकपूर्वाधिकारी जोरपुरी द्वारा वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदारान् की आवगी खातेदारी भूमि जरिए रजिस्ट्री क्रय की गई है तथा वर्तमान रेकर्ड अनुसार वादीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं तथा अभिलिखित खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में अवस्थित दो झोपे में हो रखे अवैध कब्जा हटवाने के हकदार हैं। तनकी के निस्तारण का आधार धारा 183(1)के तत्व सर्वोपरि खण्ड(Non-obstante clause) के अनुसार उक्त धारा अध्यारोही प्रभाव रखती है। जिसके अनुसार इस अधिनियम में के किसी उपबंध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी इस खण्ड का प्रभाव यह है कि यह धारा उन सभी उपबंधों का अध्यारोहण करेगी, जो इसके उपबंधों से विपरीत है। इसके अतिरिक्त हम यहां सुसंगत विधिक न्यायिक दृष्टांतों का उद्धरण देना भी उचित समझते हैं: यथा-

- I. 194 आर.आर.डी. पृष्ठ 529 पुष्पेदसिंह बनाम अम्बालाल वगैरा में प्रतिपादित है कि जहां एक बार वादी द्वारा अपना हक साबित कर दिया जाता है एवं प्रतिवादी यह साबित करने में असफल रहता है कि उसने विवादित आराजी पर कब्जा किस आधार पर किया, वहां प्रतिवादी अतिक्रमी की श्रेणी में आता है।
- II. 1985 आर.आर.डी. पृष्ठ 638 लालसिंह बनाम मांगीलाल वगैरा में प्रतिपादित है कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, अतिक्रमी खातेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता।

(9)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

1988 आर.आर.डी. पृष्ठ 214 काजी लतीफ बनाम खेमा वगैरा में प्रतिपादित है कि जब कोई व्यक्ति विवादित भूमि पर यह नहीं दिखा पाता है कि उस पर किस हैसियत से काबिज है या कृषि कर रहा है तो वह अतिक्रमी माना जायेगा। अतिक्रमी, काश्तकार के पक्ष में किये गये किसी आदेश को चैलेन्ज नहीं कर सकता।


IV 1980 आर.आर.डी. पृष्ठ 89 पनालाल बनाम राधाबाई वगैरा में प्रतिपादित है कि जब विक्रय पत्र रजिस्ट्रीकृत और स्वीकृत है, तो फिर प्रतिवादी का न तो कोई महत्व है या न कोई वैध कब्जा है तो वह अवैध रूप से कब्जा बानये रखने के कारण अतिक्रमी है।

उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रवृत्ति पर चस्पा होते हैं, क्योंकि यह भली भांति साबित हो गया है कि वादग्रस्त भूमि में अवस्थित झोपे पर प्रतिवादी का अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों से प्रमाणित हो चुका है। इस प्रकार प्रतिवादी अतिक्रमी की श्रेणी में आता है, जिसे विवादित आराजी से बेदखल किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वाद वाद-हेतुक उत्पन्न होने के की अन्दर मियाद अवधि 12 वर्ष के भीतर पेश किया है। इस सन्दर्भ में 1992(7) रा.रे.के.पृष्ठ 205 अनवान रामसिंह बनाम गुरनेबसिंह, 1992(7) रा.रे.के. पृष्ठ 625 अनवान सोहन बनाम बदरी व 1992(7) रा.रे.के. पृष्ठ 215 अनवान गंगाराम बनाम चावंडा वगैरा प्रकरणों में प्रतिपादित किया गया है कि अतिचारी-परिसीमा:-जब प्रतिवादी द्वारा खातेदार की इच्छा के विरुद्ध कब्जा रोक लिया गया, तो उनको अतिचारी माना गया। उनकी बेदखली के लिए वाद बारह वर्ष की अवधि के भीतर फाइल किया जा सकता है। उपरोक्त विवेचन तथा उक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों व हस्तगत प्रकरण की धारा के अध्यारोही प्रभाव के आलोक में न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं, कि तनकी संख्या 01 वादीगण साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 02-आया वादीगण विवादित भूमि के संबध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारीगण है ? (जिम्मे-वादीगण)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है। चूंकि तनकी संख्या 01 का विस्तृत विवेचन के उपरांत साबित हो चुका है कि वादीगण की खातेदारी भूमि में अवस्थित दो झोपे पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा हैं, जो अवैध कब्जा हटवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर वादीगण कब्जा प्राप्त करने के हकदार हैं। वादग्रस्त भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादी के मध्य लम्बे समय से वाद विवाद चल रहा हैं। वादीगण वाद-पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज से भी साबित कर दिया हैं, कि प्रतिवादी का वादग्रस्त झूपियां पर अवैध कब्जा है और अवैध कब्जा से बेदखल कर वादी पक्ष कब्जा प्राप्ति करेंगे। इस कारण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आक्यक हैं, ताकि वादीगण की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप व दखलदांजी नहीं करे तथा रिकार्डड खातेदार स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के भी हकदार हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण साबित करने में सफल रहने के कारण वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

तनकी संख्या 3-आया वादीगण प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का कब्जा पाने के अतिक्रमण है।

(जिम्मे-वादीगण)

इस विवादक बिंदू को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है। वादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि में अवस्थित की झोपे पर अवैध कब्जा से प्रतिवादी को बेदखल करवाने में स्वयं निवेधाज्ञा की मुख्य इस्तदुआ चाही गई है, जिसमें ऊपर निर्णित कारण तनकी संख्या 01 व 02 तनकी पत्र नुसखी साबित करने में सफल रहें है कि वादग्रस्त भूमि में अवस्थित की झोपे पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा है, जो वादीगण अवैध कब्जा हटवाने के उपरांत कब्जा प्राप्ति करने के हकदार है। ऐसी शूरत में उक्त तनकी पर विस्तृत विवेचन किए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में निर्णीत तनकीगत पर विस्तृत विधि सम्मत विवेचन करते हुए वादीगण के पक्ष में निर्णीत की गई है। अतः तनकी संख्या 01 व 02 को वादीगण द्वारा साबित किये जाने की स्थिति में तनकी संख्या 03 को वादीगण के पक्ष में स्वतः साबित मानते हुए निर्णीत किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

तनकी संख्या 4-आया वादीगण ने पूर्व वादा 50/82 राजू वगैरह के खिलाफ पेश किया, जिसका निस्तारण हो जाने से वादीगण का वाद रेश-ज्यूडिकेट होने से काबिल खारिज हैं ?

(जिम्मे-प्रतिवादी)

इस विवादक बिंदू को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 पर रखा गया है। वादी जोरपुरी की ओर से न्यायालय हाजा में एक राजस्व वाद बाबत स्थायी निवेधाज्ञा प्रतिवादी के विरुद्ध जारी करवाने बाबत पेश किया था। जो मुकदमा संख्या 50/1982 पर दर्ज हुआ था, जो प्रदर्श-A01 हैं। उक्त वाद-पत्र के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया था, जो प्रदर्श-A02 हैं। वादी की ओर प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सी.पी.सी. पेश की गई थी, जो प्रदर्श-A03 हैं। उक्त प्रार्थना-पत्र का जवाब प्रतिवादी की ओर से पेश किया, जो प्रदर्श-13 हैं तथा उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का निर्णय दिनांक 09.08.89 पारित हुआ, जो प्रदर्श-A04 है। वादी जोरपुरी की ओर से पूर्व वाद संख्या 50/1982 को नया वाद लाने के अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद विज्ञोल करने की प्रार्थना-पत्र पेश की गई थी, जो प्रदर्श-A06 है। वादी का वाद आदेश दिनांक 03.04.91 के द्वारा वादीगण को वाद वापस लेने की इजाजत देते हुए वादीगण का वाद निस्तारण किया गया। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण रेश-ज्यूडिकेट की श्रेणी में नहीं आता हैं। क्योंकि पूर्व वाद संख्या 50/1982 स्थायी निवेधाज्ञा बाबत पेश किया गया था तथा वर्तमान वाद-पत्र की मुख्य इस्तदुआ वादग्रस्त भूमि में अवस्थित दो झूपो पर किए गए अवैध कब्जा से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्ति बाबत की गई हैं। इस प्रकार दोनों प्रकरण की विषय-वस्तु में अन्तर हैं तथा पूर्व वाद न्यायालय हाजा की अनुमति से वाद-पत्र विज्ञोल खारिज हुआ था, न कि गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया था। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी प्रतिवादी अपने हक में साबित करने में

9

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पूर्णतया असफल रहें हैं। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरुद्ध निर्णय की जाये
है।

तनकी संख्या 05- प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम पाने के अधिकारिगण है ?

(जिम्मे- प्रतिवादी)

इस विवादक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 से 03 पर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 जरिए अधिवक्ता द्वारा वादीगण के वाद-पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विस्तृत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर इस्तदुआ चाही गई कि वादीगण का वाद-पत्र खारिज किया जावे तथा प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री फरमाई जावे कि वादग्रस्त भूमि ग्राम आसोतरा की खसरा संख्या 364 व 365 कुल रकबा 18.02 बीघा भूमि का प्रतिवादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड दुरस्त किया जावे तथा वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी को बेदखल नहीं करें एवं कब्जे-काश्त में दखल नहीं करें। उक्त तनकी को साबित करने के लिए प्रतिवादी पक्ष द्वारा सात गवाह के बयानात करवाए गए एवं अपने समर्थन में प्रदर्श-A1 से प्रदर्श-A14 तक दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी गवाह में DW-01 मावाराम द्वारा विस्तृत लिखित बयानात शपथ-पत्र पेश किया व DW.03 से DW.07 गवाहान के एक समान लिखित बयानात शपथ-पत्र पेश किए गए। DW.01 (मावाराम) गवाहान ने बयानात में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पर वक्त काश्तकारी अधिनियम लागू होने तथा उसके पहले से या बाद में प्रतिवादी के पूर्वज राजू व छोगा एवं उसके बाद उसके वारिसान प्रतिवादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि में झोपे भी प्रतिवादी के पूर्वज के बनाए हुए है। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादी या उसके हक पूर्वाधिकारियों का कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 364 व 365 पुराने खसरा संख्या 971/2 व 931 /2 मीन थे। संवत् 2012 में जब काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ,उस वक्त खसरा संख्या 971 शालिम खसरा बिला कब्जा सरकारी दर्ज था। वादी को कागजी बेचान हो रखा है,क्योंकि मौके पर वादी का कब्जा काश्त नहीं होकर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त निर्विवाद रूप से चला आ रहा है। वादी जोरपुरी की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया,जो प्रतिवादी का कब्जा काश्त होने के कारण वाद-पत्र खारिज होने का अन्देशा होने पर वाद खारिज करवाया गया तथा वादी की ओर से प्रतिवादी के विरुद्ध दो बार 145 सी.आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही करवायी गयी,लेकिन दोनो बार खारिज हुई,क्योंकि वादी अपना साक्ष्य सबूत तक पेश नहीं कर पाया था। वादी के नाम कागजी बेचान के आधार पर ग्राम पंचायत आसोतरा ने वादी का कब्जा काश्त नहीं मानते हुए नामान्तरण खारिज किया। तत्कालीन तहसीलदार पचपदरा व उपखण्ड अधिकारी बालोतरा की मौका रिपोर्ट में भी प्रतिवादी का कब्जा काश्त माना था। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की खातेदारी घोषित की जावे। DW-02 (विशनाराम) ने भी अपने बयान में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का ही कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि पर कभी चौधरियो का



2
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कब्जा काशत नहीं रहा है न ही उन्हें भूमि बेचान करने का अधिकार था। वक्त बेचान भूमि का कब्जा जोरपुरी को हस्तान्तरण नहीं हुआ था,वादी का वाद खारिज किया जावे। इसी प्रकार DW.03 से DW 07 गवाहान क्रमशः भंवराराम,चौथाराम,राणाराम,भलाराम एवं चतराराम द्वारा अपने एक समान बयान दिए कि वादग्रस्त भूमि करीबन 18 बीघा है,जिस पर पुराने समय से राजू व छोगाजी का कब्जा-काशत लगातार चला आ रहा है। जिस पर दोनो भाईयो की अलग-अलग रहवासी ढाणियों बनी हुई हैं। विवादित भूमि पर राजू व छोगाजी के देहान्त के बाद उनके वारिसान का कब्जा काशत चला आ रहा है। विवादित भूमि पर चौधरियो व जोरपुरी का कब्जा काशत नहीं देखा न वर्तमान में वादी का कब्जा काशत है। वादीगण का पिछले 12 सालो से भी अधिक समय से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा-काशत नहीं रहा है,न वर्तमान में भूमि पर वादीगण का कब्जा काशत है, न ही ढाणियों वादीगण के पूर्वजो द्वारा बनाई गई थी। वादीगण ने झूठा वाद-पत्र पेश किया है,जो खारिज किया जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने बयानात के समर्थन में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य यथा-पर्चा लगान,मिसल बंदोबस्त व खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गई,जिससे साबित हो कि प्रतिवादी का वक्त सेटलमेंट पूर्व या बाद में वादग्रस्त भूमि में हक हकूक निहित हो। प्रतिवादी की ओर से सात गवाहान के बयानात करवाए गए हैं,लेकिन ऐसा विवादित भूमि से संबंधित राजस्व रेकर्ड(दस्तावेज) प्रस्तुत नहीं कर पाए कि विवादित भूमि में प्रतिवादी के हित निहित हो। केवलमात्र जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं बयानात के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। खातेदारी अधिकारी प्राप्ति के लिए मौखिक साक्ष्य के साथ दस्तावेजी साक्ष्य भी आवश्यक होते हैं। क्योंकि राजस्व कृषि भूमि संबंधी विवादो का निस्तारण दस्तावेजात के आधार पर किया जाना प्रासंगिक एवं न्यायोचित है। राजस्व विवाद का निस्तारण करने में मौखिक साक्ष्य के स्थान पर दस्तावेजी साक्ष्य अधिक महत्व रखते हैं। ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी पक्ष पेश करने में असफल रहा है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अपने समर्थन में प्रदर्श-A1 से प्रदर्श-A14 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए,जो कि वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड संबंधी न होकर वादी जोरपुरी द्वारा पूर्ववर्ती वाद व फौजदारी प्रकरणों से संबंधित हैं। प्रदर्श-A1 वादी जोरपुरी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद पत्र-स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रतिवादी के विरुद्ध पेश किया था,जो मुकदमा संख्या 50/1982 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श-A2 प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश की प्रति,प्रदर्श-A3 वादी जोरपुरी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी.की प्रति,प्रदर्श-A4 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी.का आदेश दिनांक 09.08.1989 प्रति,प्रदर्श-A6 वाद संख्या 50/1982 विड्रोल प्रार्थना-पत्र बाबत् प्रति व प्रदर्श-A5 व प्रदर्श-A7 फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.07.1989 व 12.03.1997की प्रतिया,प्रदर्श-A8 आदेश दिनांक 24.04.1997 नामान्तरण पारित करने बाबत की प्रति,प्रदर्श-A9 व प्रदर्श-A10 फौजदारी प्रकरण संख्या 04/1985 निर्णय दिनांक 09.02.1995 प्रति व फौजदारी प्रकरण में जारी नोटिस प्रति,प्रदर्श-A11 व प्रदर्श-A12 लगान रसीदे प्रतिया, प्रदर्श-A13 प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का जवाब देने बाबत प्रति व प्रदर्श-A14 विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2054 से 2057 प्रदर्शित करवाए गए। उक्त प्रदर्शित



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दस्तावेज वादी जोरपुरी द्वारा हस्तगत प्रकरण से पूर्व की गई कार्यवाही वाद-पत्र स्थायी निषेधाज्ञा व फौजदारी प्रकरण में हुई कार्यवाही से संबंधित है। वर्ष 2003 के पूर्व खसरा गिरदावरी में कब्जे काशत का इन्दाजात हुआ करते थे,लेकिन कोई खसरा गिरदावरी की नकल प्रतिवादी द्वारा पेश नहीं की गई हैं,जिससे कि उनका कब्जा साबित होता हो। प्रतिवादी द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में एडवर्स पजेशन का कथन किया है,उसका भी कोई आधार नहीं है,क्योंकि साक्ष्य से इस प्रकार का कोई कब्जा प्रतिवादी का वादग्रस्त भूमि पर नहीं पाया जाता है और दस्तोतजी साक्ष्य के अभाव में केवल मौखिक साक्ष्य को कब्जे का आधार नहीं माना जा सकता। जबकि उसके विपरीत वादीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार व काबिज काशतकार है। उक्त प्रदर्शित दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की हक हकूकी जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वादपत्र पर उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर यह भली भांति साबित हो चुका है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमि में अवस्थित झोपे पर अवैध कब्जा कर रखा है। अवैध कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं:-

इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित किया है कि कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार DNT (Rev) पृष्ठ 249 में प्रतिपादित है कि काशतकारी अधिनियम अथवा भू राजस्व अधिनियम में दीर्घ कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रावधान नहीं हैं,जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अवैध कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही गई हैं,जो विधि विरुद्ध होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रतिवादी केवलमात्र अवैध कब्जाधारी हैं,अवैध कब्जा-धारी को खातेदारी काशतकार की खातेदारी भूमि से बेदखल किया जाना विधि सम्मत है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रदर्श-A5 व प्रदर्श-A7 फर्द मौका रिपोर्ट हस्तगत प्रकरण की प्रवृत्ति पर मेल नहीं खाती हैं,क्योंकि उक्त मौका रिपोर्ट में यह कहीं स्पष्ट नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कितने समय से कब्जा काशत है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारान को अपना-अपना पक्ष अपने साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित करना होता है,न की किसी रिपोर्ट के आधार पर। कानून का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो पक्ष दावा लेकर चल रहा है उसके अपने दावे को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। यदि वो अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहता है,तो वो दावे में सफल नहीं हो सकता। प्रतिवादी पक्ष की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए:-

- I. आर.आर.टी.2018(2)पृष्ठ 859 में प्रतिपादित है कि बिना प्रतिफल के और भूमि का कब्जा दिये बगैर विक्रय-पत्र निष्पादित किया-विक्रय-पत्र शून्य एवं बेअसर है-जो कि हस्तगत प्रकरण की प्रवृत्ति पर चस्पा नहीं होता है,क्योंकि वादी पक्ष यह भली भांति साबित करने में सफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि जरिए विक्रय-पत्र प्रतिफल राशि अदा करते हुए वक्त खरीद ही कब्जा प्राप्ति की गई थी।
- II. आर.आर.डी.1992 पृष्ठ 29-हस्तगत प्रकरण की प्रवृत्ति पर चस्पा नहीं होता है,क्योंकि वादग्रस्त भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रय हो रखी है।

सहायक क्लर्क
(S.D.O.) बालोतरा

डी.एन.जे.1994 पृष्ठ 68:-संयुक्त संपत्ति का विशिष्ट हिस्सा हस्तांतरित नहीं करने बाबत निर्णय प्रतिपादित है,जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा हिस्सा हस्तांतरित बाबत कोई इस्तदुआ नहीं होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत चस्प्या नहीं होता है।

- IV. आर.आर.टी.2016(2)पृष्ठ1364:-हस्तगत प्रकरण की प्रवृति पर चस्प्या नहीं होता है,क्योंकि प्रतिवादी पक्ष यह कहीं साबित नहीं कर पाए कि वादग्रस्त भूमि में अवस्थित विवादित झूपीया पर उनका वैध कब्जा हों। जबकि वादी पक्ष अपनं साक्ष्य सबूतों के आधार पर यह भली भांति साबित कर पाया है कि प्रतिवादी का विवादित झूपियों पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य होना आवश्यक होता है,जो प्रतिवादी साबित करने में असफल रहा है।
- V. आर.आर.डी.1984 पृष्ठ 81:-हस्तगत प्रकरण पर चस्प्या नहीं होता है,क्योंकि वादीगण वादग्रस्त भूमि के अभिलिखत खातेदार है और उनकी खातेदारी भूमि में अवस्थित झूपों पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा होना दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित हो चुका है।
- VI. आर.आर.टी.2003(1) पृष्ठ 547:-आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर अपील खारिज संबंधित होने के कारण हस्तगत प्रकरण में ऐसा बिन्दु निहित नहीं होने के कारण उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादी की इस्तदुआ के समर्थन में चस्प्या नहीं होता है।
- VII. आर.आर.टी.2006(1)पृष्ठ 545:-हस्तगत प्रकरण पर चस्प्या नहीं होता है,क्योंकि वादी पक्ष ने अपने साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित किया है कि वादपत्र परिसीमा काल अवधि में पेश किया है।
- VIII. आर.आर.टी.2021(1) पृष्ठ 01:-उक्त दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रवृति पर चस्प्या नहीं होता है।
- IX. आर.आर.टी.2012(1)पृष्ठ 358:-हस्तगत प्रकरण पर चस्प्या नहीं होता है,क्योंकि वादी पक्ष की ओर से अवैध कब्जा हटवाते हुए कब्जा प्राप्ति का अनुतोष चाहा गया है,जो वादी पक्ष की ओर से साबित भी किया है।

इस प्रकार विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की प्रवृति पर चस्प्या नहीं होते है तथा उक्त तनकी का विस्तृत विवेचन उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य सबूतों के अभाव के कारण उक्त तनकी साबित करने में पूरी तरह असफल रहें है,ऐसी सूरत में उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरुद्ध निर्णीत की जाती हैं।

तनकी संख्या 6- अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

12. अनुतोष:-उपयुक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण वाद-पत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 3 साबित करने में बखूबी सफल रहा है तथा प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है,इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अस्वीकार कर खारिज किया जाना तथा वादीगण के वाद-पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद, वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णय:

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भाँति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 364 रकबा 11-15 बीघा व खसरा संख्या 365 रकबा 06-07 बीघा कुल रकबा 18-02 बीघा भूमि में अवस्थित दो झूपियों जो खेत के पूर्वी तरफ व उतरी तरफ के कोने पर क्रमशः 30 X 30 वर्गफीट व 20 X 20 वर्गफीट नाप की स्थित हैं, पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है। अवैध कब्जा हटाने हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद लेने हेतु तहसीलदार पचपदरा को अधिकृत किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा-काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।





(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 07.5.2024 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 119/1998
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 1998/00002

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
जोरपुरी के वारिसान		1. मावा पुत्र छोगा
1. पार्वतीदेवी बेवा जोरपुरी के वारिसान		2. चम्पा पुत्र छोगा
2. श्रीमती मोहनीदेवी पुत्री जोरपुरी निवासी जालोर जिला जालोर		3. विशना पुत्र छोगा जाति भील निवासी-आसोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
3. श्रीमति शांतिदेवी पुत्री जोरपुरी निवासी समदड़ी जिला बालोतरा		4. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा
4. श्रीमति पुष्पादेवी पुत्री जोरपुरी निवासी जोधपुर		
5. मृतक ओमपुरी पुत्र जोरपुरी के कायम मुकाम:- 5/1.विनोदपुरी पुत्र ओमपुरी निवासी बालोतरा 5/2.श्रीमती दुर्गा पुत्री ओमपुरी निवासी बाड़मेर 5/3.श्रीमति कौशल्या पुत्री ओमपुरी निवासी गांधीधाम 5/4.श्रीमति वीणा पुत्री ओमपुरी निवासी ईडर गुजरात 5/5.श्रीमति दीपा पुत्री ओमपुरी निवासी डूंगरपुर		
6. सत्यप्रकाश पूरी पुत्र जोरपुरी निवासी-बालोतरा		

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर 119/1998

निर्णय दिनांक :- 07-05-2024

वादीगण की ओर से श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 04 अनुपस्थित इस



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वाद में आज तारीख 07.05.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 364 रकबा 11-15 बीघा व खसरा संख्या 365 रकबा 06-07 बीघा कुल रकबा 18-02 बीघा भूमि में अवस्थित दो झूपियाँ खेत के पूर्वी तरफ व उत्तरी तरफ के कोने पर क्रमशः 30 X 30 वर्गफीट व 20 X 20 वर्गफीट नाप की स्थित है, पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है। अवैध कब्जा हटाने हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद लेने हेतु तहसीलदार पचपदरा को अधिकृत किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा-काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करें।

यह आज तारीख 07.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)

(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा-

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	—	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-----
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	-----

(Signature)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद में आज तारीख 07.05.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम आसोतरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 364 रकबा 11-15 बीघा व खसरा संख्या 365 रकबा 06-07 बीघा कुल रकबा 18-02 बीघा भूमि में अवस्थित दो झूपियों खेत के पूर्वी तरफ व उत्तरी तरफ के कोने पर क्रमशः 30 X 30 वर्गफीट व 20 X 20 वर्गफीट नाप की स्थित है, पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का अवैध कब्जा हटवाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द किए जाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है। अवैध कब्जा हटाने हेतु आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद लेने हेतु तहसीलदार पचपदरा को अधिकृत किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के कब्जा-काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करें।

यह आज तारीख 07.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	---	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-----
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			
जोड़	---	जोड़	-----

(Signature)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा